भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 108

दिनांक 24.02.2015/05 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रशिक्षण-शिविर

108. श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री राहुल शेवालेः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अराजकता फैलाने के लिए आतंकवादी गतिविधियां करने हेतु पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में प्रशिक्षण-शिविर चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन शिविरों को बंद/विनष्ट करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख): जी, हां। सूचनाओं के अनुसार पाक अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर (पीओजेके) में विभिन्न संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), हिजबुल मुजाहिद्दीन (एचएम), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के अनेक आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर हैं, जिनका प्रशिक्षण के लिए और बाद में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में प्रशिक्षित उग्रवादियों/आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए उपयोग किया जाता है।

(ग): सरकार ने सर्वोच्च स्तर सहित जम्मू एवं कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वर्ष 2003 की युद्ध विराम की प्रतिबद्धता का पालन करने और नियंत्रण रेखा की मर्यादा को बनाए रखने की आवश्यकता पर बार-बार बल दिया है। सरकार ने आतंकवाद से संबंधित चिंताओं को भी रेखांकित किया है और इस बात पर बल दिया है कि पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध आतंकवाद के लिए अपने भू-भाग और अपने नियंत्रणाधीन भू-भाग के इस्तेमाल को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का पालन करना चाहिए।